



2026:AHC:25414

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1681 / 2026

सौरभ शाक्या

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 12 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार मालवीय, मनोज पाठक

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी, शिवेंद्र कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज पाठक, याचिका में मौजूद अंतर्निहित त्रुटि के कारण, वर्तमान रिट याचिका को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेना चाहते हैं।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज किया जाता है।

5 फरवरी, 2026

(एन.एस. राठौर)

(विकास बुधवार, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"